निर्णय व इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 268/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

मन्नी पूत्री गणेश जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा चौमू, जिला जयपुर हाल गोल्यावाली ढाणी, बागवाडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1 श्री लक्ष्मीकान्त कटारा आर॰ ए॰ एस॰ पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण, (सहायक कलक्टर)

अप्रार्थी

2 गोपाल पुत्र हनुमान

3 घीसालाल उर्फ घासीराम पुत्र श्योनाथ

4 मुरलीधर पुत्र हनुमान

5 शान्ति देवी पत्नी रघुनाथ प्रसाद

6 सुनीता देवी पत्नी मोहन लाल

7 हरिनारायण पुत्र चन्दा लाल

8 रघुनाथ प्रसाद पुत्र हनुमान सहाय

समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी वार्ड नम्बर 8, स्टेशन रोड, रावल्या की ढाणी, तहसील चौमू जिला जयपुर ।

9 राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार चौमू, जिला जयपुर ।

10 उप पंजीयक, चौमू, उप पंजीयक कार्यालय चौमू, जिला जयपुर

अप्रार्थीगण (प्रतिवादी गण)

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण, (सहायक कलक्टर) के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 182/2022 मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र सख्या 148/2022 व उनवानी मन्नी बनाम गोपाल व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बावत ।

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

उपस्थितः–

1. प्रार्थी उमेश चन्द शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री सुनील उप्पल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से ।

निर्णय दिनांक **10.01.2023**

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 182/2022 मय

जिला कलक्टर
जयपुर

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र सख्या 148/2022 ब उनवानी मन्नी बनाम गोपाल व अन्य दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी 03 की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील उप्पल ने उपस्थित हो कर वकालतनामा पेश किया।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थिया की ओर से अप्रार्थीगण 2 लगायत 10 के विरूद्व न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चौमू के समक्ष उक्त उनवानी दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के दौरान दिनांक 02.11.2022 को पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने के कारण जिला कलक्टर जयपुर द्वारा सहायक कलक्टर चौमू को प्रकरण दर्ज रजिस्टर करने हेतु आदेशित/निर्देशित किया गया था, परन्तु सहायक कलक्टर चौमू के पीठासीन अधिकारी भी अवकाश मे होने के कारण दिनांक 04.11.2022 को एस डी ओ जयपुर को प्रकरण दर्ज रजिस्टर करने हेतु आदेशित/निर्देशित किया गया, परन्तु एस डी ओ जयपुर भी अवकाश मे होने के कारण सहायक कलक्टर द्वितीय जयपुर को प्रकरण दर्ज रजिस्टर करने हेतु आदेशित/निर्देशित किया गया, परन्तु सहायक कलक्टर द्वितीय द्वितीय जयपुर भी अवकाश में होने के कारण न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण को दिनांक 04.11.2022 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर करने हेतु आदेशित/निर्देशित किया गया था जिस पर उप ण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण द्वारा दिनांक 04.11.2022 को वाद संख्या 182/2022 एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 148/2022 ब उनवानी मन्नी बनाम गोपाल व अन्य दर्ज रजिस्टर कर उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रार्थिया/वादिया की एक पक्षीय सुनवाई करते हुये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 04.11.2022 को पारित कर अप्रार्थीगण को जबाब पेश होने तक विवादित भूमि की मौका स्थिति यथावत बनाये रखने हेतु पाबन्द फरमा दिया गया था। दिनाक 27.11.2022 को प्रार्थिया/वादिया जरिये अधिवक्ता ने अप्रार्थी संख्या 1 पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करते हुये कथन किया कि प्रार्थिया ने सुबह अपने अधिवक्ता को सूचित किया है कि अप्रार्थी प्रतिवादी संख्या 2 ने गांव में चर्चा फैला दी कि एस डी एम जयपुर दक्षिण के पीठासीन अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त कटारा से हमारी एप्रोचफुल व्यक्तियों ने दिनांक 22.11.2022 को सम्पर्क कर लिया है और एस डी एम साहब जयपुर दक्षिण ने उन्हें पूर्ण विश्वास दिलाया है कि दिनांक 22.11.2022 को आप जवाब ले आना, मै स्टे को खारिज कर दूंगा। उक्त परिस्थितिं में प्रार्थी को माननीय न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने की कोई आशा नहीं रही है। अतः उक्त प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

जिला कलक्टर
जयपुर

5. अप्रार्थी संख्या 3 के अधिवक्ता ने प्रार्थी के आरोपों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रकरण में प्रार्थिया ने एक पक्षीय स्थगन प्राप्त कर रखा है इसलिए प्रकरण के निस्तारण में देरीना करने की गरज से यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। पक्षकारान के मध्य और भी मुकदमें लम्बित है, जो उपखण्ड अधिकारी चौमू के समक्ष विचाराधीन है और प्रकरण की सुनवाई का मूल क्षेत्राधिकार भी चौमू ही है। इसलिए इस प्रकरण को भी उपखण्ड अधिकारी चौमू को स्थानान्तरित कर दिया जावे तो न्यायोचित होगा ।

6. उभयपक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। न्याय का नैसर्गिक सिद्धान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। वादग्रस्त भूमि से संबंधित पक्षकारान के मध्य अन्य मुकदमें उपखण्ड अधिकारी चौमू में विचाराधीन है और चौमू ही पत्रावली का मूल सुनवाई क्षेत्राधिकार है। इसलिए इस प्रकरण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू को अन्तरण किया जा सकता है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 182/2022 मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र सख्या 148/2022 ब उनवानी मन्नी बनाम गोपाल व अन्य को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू को स्थानान्तरित किया जाता है। पक्षकारान अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 06.02.2023 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू में उपस्थित हो।

9. उपखण्ड अधिकारी चौमू को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करे।

10. निर्णय की प्रति उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) व उपखण्ड अधिकारी चौमू का प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

11. निर्णय आज दिनांक 10.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर